ग्राम पंचायत हड़सर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हड़सर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत हड़सर में निम्नलिखित प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती रजनी देवी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती श्रेटा देवी	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत हड़सर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर

अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	पंचायत राजस्व गृहकर एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	7.1 7.2	0.45
02.	आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर राजस्व की वित्तीय हानि।	8.2	7.67 0.30
03.	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि	8.3	0.37
04.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.4	0.21
05.	15वें वित्तायोग से मोबाईल फ़ोन पर किये गये अनियमित व्यय बारे।	9.1	0.23
06.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय/भुगतान।	9.2	6.38
07.	संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान करने बारे।	9.3	4.78

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत हड़सर का अंकेक्षण, अवधि 04/2018 से 03/2019 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे बार-बार मौखिक आग्रह तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 25-07-2024 द्वारा सचिव को गत पैरों पर की कार्रवाई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत

करने को कहा गया लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जोकि आपतिजनक है। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये इन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.2 व 4.3	अनिर्णीत	-
4.	5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7 (क,ख)	अनिर्णीत	-
7.	8	अनिर्णीत	-
8.	9	अनिर्णीत	-
9.	10	अनिर्णीत	-
10.	11	अनिर्णीत	-
11.	12	अनिर्णीत	-
12.	13	अनिर्णीत	-
13.	14	अनिर्णीत	-
14.	15	अनिर्णीत	-
15.	16	अनिर्णीत	-
16.	17	अनिर्णीत	-
17.	18	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
18	19	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत हड़सर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25-07-2024 से 31-07-2024 तक ग्राम पंचायत हड़सर के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	10/2022	03/2023
2.	2023-2024	12/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत हड़सर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/10 दिनांक 31-07-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत हड़सर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदानः** ग्राम पंचायत हड़सर के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्वः-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	920413.20	806817.00	1727230.20	1221290.00	505940.20
2023-24	505940.20	2613925.00	3119865.20	1846750.00	1273115.20

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1739543.00	2793300.43	4532843.43	2837827.43	1695016.00
2023-24	1695016.00	2964352.29	4659368.29	3404078.29	1255290.00

कुल योग (1+2) ₹1273115.20 + ₹1255290.00 = ₹2528405.20

(ब) ग्राम पचांयत हड़सर, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15th FC	50100313554695	HDFC Bharmour	**1258693.00**
2.	14th FC	50100319319682	HDFC Bharmour	**225.00**
3.	RGSA	50100319320341	HDFC Bharmour	**6330.00**
4.	SBM	17810113311	HPSCB Bharmour	**0.00**

5.	VMJS/SBM/5th SFC/SF/General	17810103201	HPSCB Bharmour	**1421240.20**
			Cash In hand	**190.00**
				₹2686678.2

अन्तर (ब-अ) ₹2686678.20 - ₹2528405.20 = ₹158273

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.58 लाख का अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत हड़सर, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹158273 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹0.84 लाख के अन्तर बारे।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि; पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है, तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वे मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेर व मेनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹84593 का अन्तर पाया गया।

31-03-24 को PRIYA सॉफ्टवेर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष	
31-03-24 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹26,12,998.20**
31-03-24 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	**₹25,28,405.20**
अन्तर	**₹84,593.00**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-07-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित

किया कि, ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹12.55 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1255290 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.41 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत हड़सर के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹40660 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल वसूली	बकाया राशि (₹)
2022-23	29320	283	20	5660	34980	0	34980
2023-24	34980	284	20	5680	40660	0	40660

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 31-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः

सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली तथा वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करने से हुई वित्तीय हानि बारे।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना :

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4125/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-23	10	02@200	04@400	2000	-	04@50	200	2200
2023-24	09	03@200	03@400	1800	01@25	02@50	125	1925
कुल योग	**19**	**05@200**	**07@400**	**₹3800**	**01@25**	**06@50**	**₹325**	**₹4125**

(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित बिलम्ब शुल्क की वसूली न करना:-

पंचायत अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण उपरान्त बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जिस कारण सरकार को

विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर राशि ₹400 की वित्तीय सम्बंधित सचिव की लापरवाही के कारण हुई है।

क्रमांक/ रजिस्टर पृष्ठ	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	अपेक्षित वसूली	वास्तविक वसूली	कम वसूली
1. 21	विक्रम	05-02-22	08-03-22	400	200	200
2. 25	विवेक	26-10-23	26-11-23	400	200	200
			कुल योग	**800**	**400**	**400**

(ग) विवाह पंजीकरण रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे:

अंकेक्षण दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, विवाह रजिस्टर पर अत्यधिक कटिंग (उदाहरण पृष्ट संख्या 25) व फ्लुडिंग (पृष्ठ संख्या 24) की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित है।

(घ) अन्य विविध अनियमिततायें :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि कुछ मामलों में विवाह पंजीकृत कर दिए गए थे परन्तु विवाह की तारीख रजिस्टर पर दर्ज नहीं हैं उदाहरण सोम दत्त व अनीता पृष्ट संख्या इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में विवाह 22 की तिथि दर्ज नहीं की पंजीकरण गई थी उदाहरण जितेंदर व नीलम पृष्ठ संख्या 25।

उक्त अनियमिततायें के दृष्टिगत पंचायत सचिव द्वारा न केवल नियमों की स्पष्ट अवहेलना की गई है अपितु इसमें दर्ज अन्य मदों भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इससे अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध (क से घ) में जारी अधियाचना संख्या-08 व 09 दिनांक 31-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण विलम्ब शुल्क की वसूली उपरान्त तथा वसूली गई राशि को शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में नियमानुसार विवाह पंजीकरण रजिस्टर का रख-रखाव

नियमानुसार किया जायेगा । अतः उपरोक्त राशि ₹4525 (4125+400) की वसूली ब्याज सहित करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा रजिस्टर का रख-रखाव नियमानुसार उचित तरीके से किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत हड़सर के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है । इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹7.67 लाख का अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर पर ₹0.30 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची अनुसार रॉयल्टी का भुगतान पेनल्टी सहित किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत हड़सर, के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/W,X-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिसके परिणामस्वरूप बिना W,X-फॉर्म लिए बिना जहाँ आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹766635 का अनियमित भुगतान किया गया वही पर उक्त राशि पर सरकार को राशि ₹29676/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही W,X फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त M-फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इससे अवैध खनन की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता । यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.37 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हड़सर के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹766635/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल कैश मैमों व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹36506.43 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 29-07-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल कैश मैमों व परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यद्यपि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्योयचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवशयकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.21 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार के अंतर्गत TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत हड़सर के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संग्लन परिशिष्ट "4" के अनुसार राशि ₹1026442/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर व GST अधिनियम के

उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹20528.84/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

इस अनियमितिता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं उक्त राशि व भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.1 15वें वित्तायोग से राशि ₹0.23 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

सचिव व निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HC(10) 1/2018-15th FC-75344-439 दिनांक 02 सितम्बर 2021 के अंतर्गत 15वें वित्तायोग के तहत अनटाईड ग्रांट के उप-शीर्षक तकनीकी व प्रशासनिक व्यय के मदों हेतु सांकेतिक सूची के तहत यदि पंचायत के पास कम्प्यूटर उपलब्ध न होने की स्थिति में क्रय का प्रावधान किया गया था।

ग्राम पंचायत हड़सर के अभिलेखों के नमूना अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त अनुदान से वाउचर संख्या 23 दिनांक 14-12-2023 को मै० राजेश इलेक्ट्रोनिक्स, भरमौर से उनके केश मैमों संख्या 914 दिनांक 07-12-2023 को राशि ₹23000 का मोबाईल फोन क्रय किया गया। यद्यपि पंचायत के पास कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध है जोकि बिलकुल अच्छी हालत में हैं। मोबाईल फोन का क्रय करना उक्त निर्देशों के प्रतिकूल प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में सचिव को जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 29-07-2024 का कोई भी उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त मोबाईल फ़ोन क्रय को नियमानुसार तथ्यों व अनुदान के दिशा-निर्देशों सहित स्पष्ट करते हुये अपने उत्तर को शीघ्र अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें ताकि उक्त व्यय को न्योयचित ठहराया जा सके अन्यथा नियमों के प्रतिकूल उक्त व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति व्याज सहित करके खाते में जमा करवाई जाये तथा कृत कार्यवाई/अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9.2 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹6.38 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत हड़सर के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि **₹**638158 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल केवल परफोर्मा बिल हैं जिन पर भुगतान किया गया गया है तथा उपरोक्त आपूर्तिकर्ताओं में से अधिकतर (उक्त क्रय सामान हेतु) पंजीकृत नहीं है। जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ नमूना प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलगन हैं।

इस गम्भीर अनियमितिता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि,

अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹4.78 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न परिशिष्ट "5") राशि ₹477912/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 राशि ₹0.28 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना एवं पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹28153 के स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जोकि अनुचित है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे। स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की अभीस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले

में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.5 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹1033527.93 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 व 07 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.6 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना:-

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह

सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 29-07-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हड़सर के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन (e-ग्राम स्वराज) ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवरराइटिंग के साथ-साथ न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण

नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत समिति द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिये गए हैं। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत हड़सर के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-07-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त

समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे VMJS,LADA,SBM,NUCLES 2515 Minor व 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	---------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	अपूर्ण
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामाग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत हड़सर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

16 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 06.9.24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4598-4602

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (7) 69/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर,, जिला चम्बा हि०प्र०।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत हड़सर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

16 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 06.9.24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Hadsar for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (5th SFC/VMJS/SBMNUCLES/2515 Minor etc.)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	920413.20	806817.00	1727230.20	1221290.00	505940.20
2023-24	505940.20	2613925.00	3119865.20	1846750.00	1273115.20

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1739543.00	2793300.43	4532843.43	2837827.43	1695016.00
2023-24	1695016.00	2964352.29	4659368.29	3404078.29	1255290.00

2528405.20

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हडसर, विकास खंड भरमौर में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत पांच रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (1273115.20+1255290)

Closing Balance as per Cash Books		2528405.20
Closing Balance as per Bank Passbook		2686678.20
Difference	(Less in Bank CashBook	-158273.00

सचिव
ग्राम पंचायत हड़सर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Hadsar for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	1535081.43	1535081.43	1535081.43	0.00
		2023-24	0.00	2755599.29	2755599.29	2755599.29	0.00
2	15TH FC	2022-23	1356419.00	1252722.00	2609141.00	997668.00	1611473.00
		2023-24	1611473.00	208341.00	1819814.00	571079.00	1248735.00
3	14th FC	2022-23	377162.00	5316.00	382478.00	305078.00	77400.00
		2023-24	77400.00	225.00	77625.00	77400.00	225.00
5	RGSA	2022-23	5962.00	181.00	6143.00	0.00	6143.00
		2023-24	6143.00	187.00	6330.00	0.00	6330.00
			1739543.00	2793300.43	4532843.43	2837827.43	1695016.00
			1695016.00	2964352.29	4659368.29	3404078.29	1255290.00

सचिव
ग्राम पंचायत हड़सर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "ठ" पैरा संख्या 8.2 व 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP HADSAR FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "X,W" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Gulshan Nanda	15th FC	07 & 08	Sand	5.67	9.07	26000	80	725.76	24761.90	1238.10
	PO Bharmour, Chamba		06-04-2022	Aggre.	4.2	8.15	24500	80	651.84	23333.33	1166.67
				Stone	2.4	5.38	6701	80	430.08	6381.90	319.10
2	M/S Gulshan Nanda	15th FC	25 & 26/	Sand	1.74	2.78	7988	80	222.72	7607.62	380.38
	PO Bharmour, Chamba		03-03-2023	Stone	2.74	6.14	7672	80	491.01	7306.67	365.33
3	M/S Gulshan Nanda	15th FC	31 & 32/	Stone	2.7	6.05	7560	80	483.84	7200.00	360.00
	PO Bharmour, Chamba		12-03-2023	Sand	2.88	4.61	13323	80	368.64	12688.57	634.43
				Aggre.	3.02	5.86	12799	80	468.70	12189.52	609.48
4	M/S Gulshan Nanda	15th FC	36 & 37/	Sand	2.09	3.34	9183	80	267.52	8745.71	437.29
	PO Bharmour, Chamba		12-03-2023	Aggre.	1.70	3.30	7207	80	263.84	6863.81	343.19
				Stone	1.80	4.03	5040	80	322.56	4800.00	240.00
7	M/S Naresh Kumar	15th FC	06,07 & 09/	Sand	6.69	10.70	31289	80	856.32	29799.05	1489.95
	PO Harsar, Bharmour		26-06-2023	Aggre.	6.40	12.42	27123	80	993.28	25831.43	1291.57
8	M/S Naresh Kumar	15th FC	14-18/	Sand	6.15	9.84	28438	80	787.20	27083.81	1354.19
	PO Harsar, Bharmour		20-06-2023	Aggre.	2.2	4.27	9834	80	341.44	9365.71	468.29
				Stone	13	29.12	39000	80	2329.60	37142.86	1857.14
9	M/S Gollu Hardware	SBM	30 & 31/	Sand	1.3	2.08	5168	80	166.40	4921.90	246.10
	Bharmour, Chamba		09-03-2023	Aggre.	2.72	5.28	10336	80	422.14	9843.81	492.19
10	M/S Naresh Kumar	CD 2515	06&07/	Stone	28.56	63.97	79968	80	5117.95	76160.00	3808.00
	PO Harsar, Bharmour		02-08-2023					80	0.00	0.00	0.00
11	M/S Naresh Kumar	CD 2515	09 & 10/	Stone	30.72	68.81	86016	80	5505.02	81920.00	4096.00
	PO Harsar, Bharmour		02-08-2023					80	0.00	0.00	0.00
11	M/S Naresh Kumar	CD 2515	30-33/	Sand	5.57	8.912	33877	80	712.96	32263.81	1613.19
	PO Harsar, Bharmour		04-01-2024	Aggre.	1.61	3.12	7197	80	0.00	6854.29	342.71
				Stone	30.53	68.39	91500	80	0.00	87142.86	4357.14
14	M/S Gulshan Nanda	MGREGA	Nil/	Sand	8	12.80	36728	80	1024.00	34979.05	1748.95
	PO Bharmour, Chamba		28-02-2024	Aggre.	26	50.44	110188	80	4035.20	104940.95	5247.05
				Stone	15	33.60	42000	80	2688.00	40000.00	2000.00
							766635		**29676.03**	**730128.57**	**36506.43**

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3 Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3 Sand **1.60**
   One Cubic Meter (M^3 Aggregate Mi **1.94**
   One Cubic Meter (M^3 Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3 Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or

सचिव
ग्राम पंचायत हड़सर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.4 मे सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o GP Hadsar DB Bharmour

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	01-04/ 08-09-2022	14th FC	M/S Ravinder Kumar PVC Work, Bharmour	PVC With Fitting 900sqf@180	162000.00	3240.00	IT Act Section 194C
2	13-15/ 05-12-2022	15TH FC	M/S Ravinder Kumar PVC Work, Bharmour	PVC With Fitting 602qf@180	108360.00	2167.20	IT Act Section 194C
3	41,42/12-03-23	15TH FC	M/S Ravinder Kumar PVC Work, Bharmour	Aluminum fitting 101.5sqm@390	79170.00	1583.40	IT Act Section 194C
4	05-07 & 10-13/ 25-08-2022	SBM	M/S Falatu Ram Welding Works , Hardaspura	Folding toilets with labour 07No@35000	245000.00	4900.00	IT Act Section 194C
5	19,20,23,24/ n24-12-2022	SBM	M/S Naresh Kumar PO Hadsar, Chamba	Sand & Agg. Carrige	159046.00	3180.92	IT Act Section 194C
6	29/09-03-2023	SBM	M/S Gulshan Nanda PO Bharmour, Chamba	Sand Carrige	44000.00	880.00	IT Act Section 194C
7	32-34/ 09-03-2023	SBM	M/S Naresh Kumar PO Hadsar, Chamba	Sand & Agg. Carrige	114433.00	2288.66	IT Act Section 194C
8	36-38/09-03-2023	SBM	M/S Naresh Kumar PO Hadsar, Chamba	Sand & Agg. Carrige	114433.00	2288.66	IT Act Section 194C
				TOTAL	1026442.00	20528.84	

सचिव
ग्राम पंचायत हड़सर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट– "5"

ग्राम पंचायत हड़सर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.14th FC	14/ 24-03-23	Paint, Putty etc.	-	M/S Gulshan Nanda , Bharmour, Chamba	18753	**Joint Sign & Stock Entry**
2.14th FC	15/ 24-03-23	Water Tank Sheet etc.	-	M/S Shiva Hardware Store, Bharmour	9400	**Joint Sign & Stock Entry**
3.15th FC	20/ 03-03-23	Angle, Plate etc.	-	M/S Falatu Ram Welding Works, Hardaspura, Chamba	42611	**Joint Sign**
4.15th FC	31,32,36,37 12-03-2023	Sand, Stone & Agg.	-	M/S Gulshan Nanda , Bharmour, Chamba	55112	**Joint Sign**
5.15th FC	41 & 42/ 25-04-23	Aluminum fitting with Labour	101sqm@ 390	M/S Ravinder Kumar PVC Work, Bharmour	79170	**Joint Sign.**
6.SBM	29/ 09-03-23	Sand Carrige	-	M/S Gulshan Nanda , Bharmour, Chamba	44000	**Joint Sign**
7.SBM	32-34/ 09-03-23	Sand & Agg. Carrige	-	M/S Naresh Kumar PO Harsar, Bharmour	114433	**Joint Sign**
8.SBM	36-38/ 09-03-23	Sand & Agg. Carrige	-	M/S Naresh Kumar PO Harsar, Bharmour	114433	**Joint Sign**
				Total	**477912**	

प्रधान Rajni
ग्राम पंचायत हड़सर
विकास खण्ड भरमौर

सचिव
ग्राम पंचायत हड़सर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 9.2 में उल्लेखित

Statement Showing Detail of Payment not made on Proper/Tax Bill in r/o GP Hadsar DB Bharmour

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND/GRANT	PARTICULAR/ DETAIL OF SUPPLIER	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	Remarks
1	15/24-03-2023	14th FC	M/S Gulshan Nanda, Bharmour, Chamba	Paint, Putty etc.	18753.00	Performa Bill
2	16/24-03-2024	14th FC	M/S Shiva Hardware Bharmour,Chamba	Water Tank, Pipe, Bath fitting etc.	9400.00	do
3	07&08/06-04-2022	15TH FC	M/S Gulshan Nanda,	Sand, Stone & Agg	50500.00	do
4	20/03-03-2023	15TH FC	M/S Falatu Ram Welding Works, Chamba	Angle Plate etc.	42611.00	do
5	31,32,36,37/ 12-03-2023	15TH FC	M/S Gulshan Nanda,Bharmour	Sand, Stone & Agg	55112.00	do
6	29/09-03-2023	SBM	M/S Gulshan Nanda	Sand Carrige	44000.00	do
7	32-34/09-03-2023	SBM	M/S Naresh Kumar PO Hadsar, Chamba	Sand & Agg. Carrige	114433.00	do
8	36-38/09-03-2023	SBM	M/S Naresh Kumar PO Hadsar, Chamba	Sand & Agg. Carrige	114433.00	do
9	Nil/28-02-2024	MGREGA	M/S Gulshan Nanda	Sand, Stone & Agg	188916.00	do
				TOATL	638158.00	

सचिव
ग्राम पंचायत हड़सर
विकास खण्ड भरमौर